FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

अजय कुमार मीना, वैज्ञानिक डी, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो(जे.सी.बी.), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नई दिल्ली 110054 — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 30/19 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 26.11.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.11.2019	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर ''ग्राम पंचायत दानालपुर हिंगोट क्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण भूमि का वर्तमान (2019) एवं वर्ष 2080 दोनों लघु नक्शा उपलब्ध करवाने, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिनियम व धारा'' आदि से संबंधित सूचना चाही गई थी, जिसके एवज में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौन द्वारा नक्शा हेतु 5680 रुपये का शुल्क चाहने पर यह अपील पेश की गई है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौनसिटी को प्रेषित किये गये आवेदन की छायाप्रति संलग्न नहीं की है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदक द्वारा क्या सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा संलग्न किये गये तहसीलदार हिण्डौनसिटी के पत्रांक एल.आर./2019/1726 दिनांक 23.10.2019 से ही आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है जिसमें ग्राम पंचायत दानालपुर के वर्ष 2019 व 1980 के राजस्व नक्शा की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी से 5680/–रुपये का शुल्क चाहा गया है जबकि आवेदक 2/– प्रति पृष्ठ अदा करना चाहता है। राजस्व नक्शा की प्रति लेने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 के भू–अभिलेख नियम 1957 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार ''यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम,2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।'' अतः तहसीलदार हिण्डौनसिटी द्वारा अपीलार्थी से चाहा गया शुल्क वैधानिक है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारान को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:25:34 IST
Reason: SelfAttested